an>

Title: Need to permit release of funds under Member of Parliament Local Area Development Scheme to organizations engaged in cleanliness drive in Bikaner Parliamentary Constituency, Rajasthan.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत मिशन का अभियान 15 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीर से किया गया था। इसके बाद स्वच्छता के कार्यक्रम में काफी तेजी भी आई है और बहुत सी संस्थाएं इसमें जुड़ी भी हैं। संस्थाओं ने समाज को जोड़कर स्वच्छता के काम को अपने हाथ में लिया है। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। बीकानेर शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए स्वच्छता प्रहरी संस्थान का समाजसेवी लोगों ने गठन किया है। उनको प्रतिदिन स्वच्छता के लिए बहुत से उपक्रमों की आवश्यकता है। साथ में एक कचरा कलेक्शन वाहन की भी आवश्यकता होती है। एमपीलैड स्कीम में आवश्यक संशोधन किया गया है लेकिन एमपीलैड स्कीम के तहत उन संस्थाओं को राशि जारी नहीं हो सकती जिनके रजिस्ट्रेशन की अवधि के तीन साल से कम हो। चूंकि योजना का शुभारम्भ ही 15 अगस्त, 2014 को हुआ, अतः इस तिथि के बाद जो संस्थाएं स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी हैं और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसी संस्थाओं को एमपीलैड स्कीम से कचरा कलैक्शन वाहन सहित अन्य उपकरण खरीदने की अनुमति होनी चाहिए।